UPLK01010765-2024

CBI Vs Sameer joshi

In the Court of Special Judge Anti Corruption / C.B.I. (West) Lucknow.
Present: Rahul Prakash, HJS
आर0 सी0 नंबर– 0062012A0018 धारा–120 B सपठित धारा 201, 420, 467, 468, 471, 477A भा0दं0सं0 थाना–सीबीआई/एसीबी, लखनऊ
Represented by Name of the Advocate त्रिपुरारी पाठक लोक अभियोजक
Accused- समीर जोशी

निर्णय

अभियुक्त **समीर जोशी** के विरूद्ध थाना सीबीआई/एसीबी, लखनऊ द्वारा प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–120बी सपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए भा0दं0सं0 पर संज्ञान लेने के उपरान्त यह सत्र परीक्षण विचारण हेतु प्रस्तुत हुआ।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट आर0सी0 नं0–RC No. 0062012A0018 दिनांक 13.08.2012 को अंतर्गत धारा 120बी सपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्त समीर जोशी के विरुद्व दर्ज करायी गयी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया कि मई 2006 से दिसम्बर 2010 के दौरान एक्सिस बैंक स्थित पालिसी धारक भुगतान खाता संख्या–4

Rahul Prakash
2026-08-11T11:
38:49+0530

(05301020001884) से 212 चेक जारी करके 17 अपात्र/फर्जी व्यक्तियो के नाम पर 5,99,68,338/–रुपये का भुगतान किया गया, जो एलआईसी से कोई भी राशि प्राप्त करने के हकदार नही थे। इन चेको को लखनऊ स्थित विभिन्न बैंको के माध्यम से भुनाया गया। यह भी आरोप लगा कि तत्कालीन उच्चतर श्रेणी सहायक श्री पंकज सक्सेना ने एलआईसी को धोखा देने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से जाली भुगतान बाउचर तैयार किये और उपरोक्त खाता संख्या 4 से 17 निजी व्यक्तियो के नाम पर चेक जारी किये। पंकज सक्सेना ने कम्प्यूटरीकृत बाउचर तैयार करने के लिए अपने पासवर्ड का इस्तेमाल किया और चेक भी लिखे और प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के रुप में हस्ताक्षर किये। उन्होनें खाते के मासिक मिलान के लिए घाटे को छुपाने के लिए झूठी अंतर बैंक/बाहय प्रविष्टियां दिखाकर खाता बही में हेराफेरी की और वित्तीय वर्ष के अंत में कमीशन और नवीनीकरण प्रीमियम डेबिट करके खाता 3 यानि प्राप्ति खाते में समायोजन प्रविष्टियां दर्ज की। यह भी आरोप लगाया गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम, ट्रान्स गोमती शाखा, जानकीपुरम लखनऊ के 17 अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपनी चूक और कमीशन के कृत्यों से धोखाधड़ी को अंजाम देने में मदद की।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त अभियुक्त समीर जोशी को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए जांच एजेन्सी सीबीआई द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

अपने आरोपपत्र में सीबीआई द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जांच में यह भी पाया गया कि वित्तीय धोखाधड़ी को छिपाने के लिए पंकज सक्सेना ने स्वयं बैंक खाता IV भुगतान खाते का मासिक मिलान किया जिसमें उन्होनें धोखाधड़ी वाले दावो के भुगतान के कारण खाते की किताबो में बनाये गये घाटे को कवर करने के लिए इंटर बैंक ट्रांसफर/अपरिहार्य राशि के संबंध में गलत प्रविष्टियां करके डाटा में हेरफेर किया। इस कार्य प्रणाली के माध्यम से पंकज सक्सेना ने 27.02.2006 से 09.08.10 की अवधि के मध्य रु0 6,37,66,660/– रु0 नीतू सक्सेना, सचिन मेहरोत्रा, विनीता मेहरोत्रा, कृष्णकान्त अग्निहोत्री, रेखा उपाध्याय, समीर जोशी, आशा अग्निहोत्री आदि समस्त गैर मौजूदा पालिसी धारक के नाम पर थे, जिन्हें विभिन्न बैंको में खोले गये खातो के माध्यम से भुनाया गया। जांच से ज्ञात हुआ कि श्री समीर जोशी लालबाग में कार एक्सेसरीज की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां पंकज सक्सेना अक्सर आते थे। पंकज सक्सेना और समीर जोशी ने समीर जोशी, इन्दू जोशी (समीर जोशी की पत्नी) व जितेन्द्र कुमार के नाम पर फर्जी एलआईसी चेक तैयार करने उन्हें भुनाने व फिर आपस में पैसे बांटने के लिए आपस में साजिश रची। आपराधिक साजिश के तहत 13.01.2009 से 29.04.2010

Rahul Prakash
2026-08-11T11:
38:49+0530

तक पंकज सक्सेना ने समीर जोशी के नाम पर एलआईसी ट्रान्स गोमती शाखा के 54,23,775/–रु0 मूल्य के 29 फर्जी चेक तैयार किये और उन्हें समीर जोशी को सौंप दिया। जिनके द्वारा नीचे दी गयी तालिका के अनुसार एसबीआई, नगर महापालिका शाखा, धनलक्ष्मी बैंक, हजरतगंज शाखा, पीएनबी, हजरतगंज शाखा, कोटक महिन्द्रा बैंक, शाहनजफ रोड शाखा, एक्सिस बैंक अशोक मार्ग शाखा व आईसीआईसीआई बैंक, अलीगंज शाखा में चेक भुना लिये गये। जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि श्री समीर जोशी ने अपनी पत्नी मन्जू जोशी के नाम से एसबीआई नगर महापालिका शाखा, लालबाग लखनऊ में एसबी खाता सं0–10038063496 खुलवाया व उक्त खाते में एक्सिस बैक/यूटीआई बैंक का 3,62,644/–रु0 का एक चेक (एलआईसी ट्रांसगोमती शाखा को जारी) जमा किया। समीर जोशी ने अपने कहने पर धनलक्ष्मी बैंक लि0, हजरतगंज शाखा, लखनऊ में अपने नाम से एक एसबी खाता खुलवाया। समीर जोशी द्वारा माही इंटरप्राइजेज के नाम से एक सीट कवर फैक्टरी आरम्भ की गयी। अभियुक्त द्वारा अपने कर्मचारी के भाई की जमीन पर धोखाधड़ी से प्राप्त लगभग 6.5 लाख रु0 खर्च करके निर्माण कार्य किया तथा उनके द्वारा इस व्यवसाय मे लगभग 6 लाख रु0 का निवेश भी किया गया। अभियुक्त द्वारा मिनरल वाटर प्रोजेक्ट के लिए बने भवन के निर्माण पर लगभग 20 लाख रु0 खर्च किये गये।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त समीर जोशी के विरूद्ध सीबीआई द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दिनांक 30.01.2016 को धारा 201 सपठित धारा 120बी, 409 सपठित धारा 120बी, 420 सपठित धारा 120बी, 467 सपठित धारा 120बी, 468 सपठित धारा 120बी, 471 सपठित धारा 120बी एवं 477ए सपठित धारा 120बी भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया तथा विचारण किये जाने की याचना किया गया।

विवेचना के उपरांत सीबीआई द्वारा समीर जोशी के विरुद्व आरोपपत्र प्रेषित किया और यह कथन किया कि उपरोक्त अभियुक्त द्वारा मिलकर प्रस्तुत प्रकरण को अंजाम दिया। अभियुक्त के विरुद्व आरोपपत्र अंतर्गत धारा 120बी सपठित धारा 201, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए का प्रेषित किया।

आरोप निर्मित होने के उपरांत अभियोजन द्वारा साक्ष्य के रुप में पी0डब्लू0–1 लगायत पी0 डब्लू0–11 परीक्षित कराये गये है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 के रुप में एम0 आर0 कुमार, सेक्शनिंग अथारिटी परीक्षित हुये है जिनका प्रस्तुत अभियुक्त से कोई सम्बन्ध नही है।

Rahul Prakash
2026-08-11T11:
38:49+0530

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–2 के रुप में आदित्य गुप्ता, सेक्शनिंग अथारिटी परीक्षित हुये है जिनका प्रस्तुत अभियुक्त से कोई सम्बन्ध नही है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–3 के रुप में सुनील पाण्डेय परीक्षित हुये है जिन्होनें दस्तावेज संख्या–306 को साबित किया है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–4 के रुप में रवि अग्रवाल परीक्षित हुये है जिन्होनें आवश्यक प्रपत्रों को साबित किया है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–5 के रुप में हरीओम श्रीवास्तव परीक्षित हुये है जिन्होनें भी आवश्यक प्रपत्रों को साबित किया है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–6 के रुप में हुकुम सिंह, एक्सिस बैंक कर्मचारी परीक्षित हुये है जिन्होनें विवेचना से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्रो को साबित किया है।

जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि सभी चेक में एक ही सिगनेचरी कामन है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–7 के रुप मे शम्भू नाथ परीक्षित हुये है जिन्होनें कृष्णकान्त अग्निहोत्री के बचत खाता को साबित किया है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–8 के रुप मे देवेन्द्र सिंह, एलआईसी कर्मचारी परीक्षित हुये है, जिन्होनें आवश्यक प्रपत्रो को साबित किया है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–9 के रुप में विजय कुमार सिंह परीक्षित हुये है, जिन्होनें पंकज सक्सेना से संबंधित आवश्यक प्रपत्रो को साबित किया है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–10 के रुप में ए. एन. पान्डेय परीक्षित हुये है, जिन्होनें कृष्णकान्त अग्निहोत्री से संबंधित एकाउंट ओपनिंग फार्म को साबित किया है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–11 के रुप में राजीव कुमार गुप्ता, आईसीआईसीआई, बैंक कर्मचारी परीक्षित हुये है, जिन्होनें कृष्णकान्त अग्निहोत्री के एकाउंट ओपनिंग फार्म को साबित किया है।

अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा गवाहों के बयान के सम्बन्ध में कुछ नही कहा तथा उसकी परिस्थिति को देखकर न्यूनतम सजा किये जाने की याचना किया है।

Rahul Prakash
2026-08-11T11:
38:49+0530

मैनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

<u>विचारणीय बिन्दुः–</u>

क्या अभियुक्त ने अपराध अन्तर्गत धारा 201/120बी, 409/120बी, 420/120बी, 467/120बी 468/120बी/471/120बी एवं 477ए/120बी आई0पी0सी0 का अपराध कारित किया है अथवा नही?

प्रस्तुत प्रकरण में सीबीआई द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्व दर्ज करायी गयी थी। विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरुद्व आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त को आरोपित किया। सीबीआई द्वारा अपने आरोप पत्र में यह कथन किया था कि अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र के तहत फेक चेक बनाकर एलआईसी से धनराशि प्राप्त की। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य अभियुक्त पंकज सक्सेना का सहयोग किया गया, का आरोप था।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–6 के रुप में हुकुम सिंह परीक्षित हुये है जो कि बैक के कर्मचारी थे, उनके द्वारा दस्तावेज सं0–डी 352 प्रदर्श क–25, डी–377 प्रदर्श क–26, डी–380 प्रदर्श क–27, डी–388 प्रदर्श क–28 प्रपत्रो को साबित किया है।

अपनी जिरह में पी0डब्लू0–6 ने यह कथन किया है कि सभी चेक में एक ही सिगनेचरी कामन है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–7 के रुप में शम्भू नाथ परीक्षित हुये है जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त कृष्णकान्त अग्निहोत्री के बचत खाता सं0–3192293573 को साबित किया है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–8 के रुप में देवेन्द्र सिंह परीक्षित हुये है जिन्होनें अभियेाजन कथानक को साबित किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।

अपनी जिरह में उन्होनें यह कथन किया है कि शिकायत करने से पहले के. जगन्नाथन ने मुझे जो जांच में पाया चेक इश्यू किसने चेक साईन किये, किसने बाउचर बनाये है, इसका विवरण दिया था। इस आधार पर ही मैनें 17 प्राइवेट परसन तथा आफिस के अधिकारी एवं कर्मचारीगण के विरुद्व नामजद एफआईआर

Rahul Prakash
2026-08-11T11:
38:49+0530

दर्ज करायी थी। 17 सरकारी कर्मचारी में से नामजद एम. एन. सिंह और पंकज सक्सेना थे।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–9 के रुप में विजय कुमार सिंह, बैंक कर्मचारी परीक्षित हुये है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–10 के रुप में ए.एस. पाण्डेय परीक्षित हुये है। जिन्होनें डी–365 सीजर मेमो प्रदर्श र्क–43, डी–231 प्रदर्श क–44, डी–232 प्रदर्श क–45, डी–233 प्रदर्श क–46 व प्रदर्श क–47 एकाउंट ओपनिंग फार्म व कृष्णकान्त अग्निहोत्री से संबंधित खाते में ट्रांजैक्शन को साबित किया है।

जिरह में यह कथन किया गया है कि कृष्णकान्त अग्निहोत्री के यहां जो खाता खोला गया था, वह जेनुइन खाता था, फर्जी खाता नही था। सारी औपचारिकतायें पूरी की गयी थी। इस खाते में जो सब चेक एक्सिस बैंक से आयी थी वह सब जेनुइन चेक थी। यह कहना सही है कि ज्यादातर बड़े एमाउन्ट का विड्राल डी.डी. द्वारा हुआ है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–11 के रुप में राजीव कुमार गुप्ता, बैंक कर्मचारी परीक्षित हुये है। जिन्होनें डी–259 प्रदर्श क–50 कृष्णकान्त अग्निहोत्री के एकाउन्ट ओपनिंग फार्म को साबित किया है। साथ ही साथ प्रदर्श क–50/3 डी–261 कृष्णकान्त अग्निहोत्री के खाते में चेको को जमा करने की डिपाजिट स्लिप को साबित किया है।

जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि इस मामले में खाता खोलने वाला फर्जी नही है। यह सारा एकाउंट स्टेटमेंट मैनें अपने फिजीकल साफटवेयर को देखकर बनाया है जो कि ओरिकल पर वर्क करता है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मुख्य अभियुक्त की मदद की लेकिन कोई भी पैसा प्राप्त नही किया जो भी पैसा प्राप्त किया, वह पंकज सक्सेना के द्वारा निर्मित चेक के आधार पर प्राप्त किया जिस कारण अभियुक्त का अपराध अंतर्गत धारा 120बी सपठित धारा 409 सन्देह से परे साबित नही होता है।

दौरान विचारण अभियुक्त द्वारा 290 बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र देकर स्वयं को जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किये जाने की याचना किया है। अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि वह दिनांक 21.08.2014 से 25.01.2016 एवं 31.03.2026 से अद्यदिनांक तक जेल में निरुद्व था। अपने प्रार्थना पत्र के

Rahul Prakash
2026-08-11T11:38:49+0530

साथ शपथ पत्र भी संलग्न किया है। सीबीआई द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त के ऊपर 120बी/468 आईपीसी भी अधिरोपित है। इस कारण उसके प्रार्थना पत्र को प्रेड गिलटी के आधार पर निस्तारित किया जाये। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त स्वयं न्यायालय उपस्थित होकर जुर्म स्वीकार कर रहा है तथा अभियुक्त द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसने जेल में काफी अवधि बितायी है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में सम्पूर्ण मामले की परिस्थिति को देखते हुये अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त **समीर जोशी** को धारा 201 सपठित धारा 120बी आई0पी0सी0 में जेल में बितायी गयी अवधि (एक साल नौ माह तेरह दिन) एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास से, धारा 420 सपठित धारा 120बी आई0पी0सी0 में जेल में बितायी गयी अवधि (एक साल नौ माह तेरह दिन) एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास से, धारा 467 सपठित धारा 120बी आई0पी0सी0 में जेल में बितायी गयी अवधि (एक साल नौ माह तेरह दिन) एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास से, धारा 468 सपठित धारा 120बी आई0पी0सी0 में जेल में बितायी गयी अवधि (एक साल नौ माह तेरह दिन) एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास से, धारा 471 सपठित धारा 120बी आई0पी0सी0 में जेल में बितायी गयी अवधि (एक साल नौ माह तेरह दिन) एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास से एवं धारा 477ए सपठित धारा 120बी आई0पी0सी0 में जेल में बितायी गयी अवधि (एक साल नौ माह तेरह दिन) एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाता है।

सभी सजाये साथ–साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित की जाती है।

दिनांक–07.08.2026

(राहुल प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,
सी0बी0आई0 (पश्चिम) लखनऊ।

Rahul Prakash
2026-08-11T11:
38:49+0530

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–07.08.2026

(राहुल प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,
सी0बी0आई0 (पश्चिम) लखनऊ।

Rahul Prakash
2026-08-11T11:
38:49+0530